न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 84/2023
जीसीएमएस सं0 2023/212

1. नन्दकिशोर पुत्र राधाकृष्ण शर्मा जाति ब्राहम्ण नि0 नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुंनू राज0 हाल आबाद ई–82 ए आकाश टॉवर, प्रेमचंद नगर रोड़, चीफ जस्टिस बंगल के सामने, बोडकदेव अंबावाली बिस्तार, अहमदाबाद –गुजरात 380015 मो0नं0 9426177726

– वादी,

बनाम

2. मुस्कान रियलकॉन प्राईवेट लि0 न्यू दिल्ली रजि0 नं0 7010/डी.एल 2014 पीटीसी 263472 जरिये डायरेक्टर राकेश कुमार पुत्र जयभगवान जाति जांगिड़ नि0 आर.जेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली।
3. वाई0एस0 इन्फ्रास्टरक्चर जरिये डायरेक्टर योगेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर निवासी जी 53, नानगपुरा नई दिल्ली110021
4. राकेश कुमार पुत्र जयभगवान जाति जांगिड़ आरजेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली।
5. राहुल बंसल पुत्र शंकरलाल बंसल जाति महाजन नि0 बिचौली तह0 आमेर।
6. संजय पंडित पुत्र श्यामलाल जाति ब्राहम्ण नि0 ई–45 अमरप्लाजा हसनपुर विपेज दिल्ली 92
7. तहसीलदार, दांतारामगढ़ भूमिधारक राजस्थान सरकार।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . 1.श्री अश्वनी कुमार महर्षि,वकील वादी की ओर से।

दावा बाबत विभाजन कृषि भूमि व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक :: 18.12.24

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि ग्राम डूकिया प0ह0 व गि0ह0 डूकिया तहसील दांतारामगढ़, की सरहद में स्थित कृषि भूमियां ख0नं0 1322 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 1323 रकबा 0.5100 है0 ख0नं0 1325 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 1326 रकबा 2.5500 है0 ख0नं0 1330/2641 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 2304/2639 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 2305/2640 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.2900 है0 वादी व प्रति0सं0 1 से 5 के संयुक्त खातेदारी की स्थित है, जिसमें वादी का हिस्सा 100/329 है व प्रति0सं0 1 का हिस्सा25/329 है0 प्रति0सं0 2 का 50/329

Rahul
सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

प्रति0सं0 3 का हिस्सा 57/658 प्रति0सं0 4 का हिस्सा 1/658 व प्रति0सं0 5 का हिस्सा 125/329 है, जिसका कोई विवाद नहीं है। उपरोक्त वाद मात्र विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का है, जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। वादी व प्रति0 सं0 1 से 5 अपने हिस्से के अनुसार काबिज काश्त है। वादी उपरोक्त भूमि को पंछी बिहार व श्री संत निवास के लिए उपयोग में लेना चाहता है तथा उपरोक्त भूमि में अपना हिस्सा 100/329 में एक ट्यूबवेल बना रखा है तथा विधुत कनेक्शन लिया हुआ है और भूमि के चारों तरफ तारबंदी की हुई है तथा बडी मात्रा में उपरोक्त भूमि में पेड लगाये हुए है तथा खेती की जा रही है, जो उपरोक्त भूमि का विकय पत्र के समय दिये गये कब्जे के अनुसार गिरदावर व प0ह0 डूकिया के द्वारा किये गये सीमाज्ञान के अनुसार किया गया है यानि विधिवत रूप से वादी अपने हिस्से पर काबिज है,जिसमें प्रतिवादीगण 1 से 5 को कोई ऐतराज नहीं है। यानि संपूर्ण भूमि का बंटवारा मौखिक रूप से पक्षकारों के मध्य हो गया है, पर अभी रिकॉर्ड में बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए वाद बाबत बंटवारा बाई मिट्स एंड बाउण्डस के अनुसार किये जाने के लिए पेश किया जा रहा है। वादी ने वाद पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख व ग अनुसार वाद डिकी करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 लगायत 6 बाबजूद बावजूद रजिस्ट्रर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर प्रति0सं0 1 ता 6 के विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई गई। प्रकरण में दिनांक 12.10.23 को प्राथमिक डिकी जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/3989 दिनांक 26.07.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है। वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया ।

बहस वकील वादी सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, रिपोर्ट तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/2024/3989 दिनांक 26.07.24 का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि विवादित भूमियां संयुक्त खातेदारी की भूमिया है तथा वादीगण एंव प्रति0सं0 1 ता 6 मौके पर अपने हक हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। विवादित भूमियों का विधिवत रूप से बंटवारा नहीं हुआ है तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/3989 दिनांक 26.07.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है, जिसपर वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार फाईनल डिकी जारी करने हेतु निवेदन किया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिकी जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/2024/3989 दिनांक 26.07.24 फाईनल डिकी का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमियां ख0नं0 1322 रकबा 0.0500 है0 ख0नं0 1323 रकबा 0.5100 है0 ख0नं0 1325 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 1326 रकबा 2.5500 है0 ख0नं0

Rahanky
सहायक कलेक्टर(मु.)सीकर

| नगनी ए | 3.57

Scanned with CamScanner

1330/2641 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 2304/2639 रकबा 0.0400 है0 ख0नं0 2305/2640 रकबा 0.0700 है0 कुल किता 7 कुल रकबा 3.2900 है0 राजस्व ग्राम डुकिया तहसील दांतारामगढ़, सीकर स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:-

क.स.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	1.मुस्कान रियकॉन प्राईवेट लि0 न्यू दिल्ली रजि0 नं0 7010/डीएल 2014 पीटीसी 263472 डायरेक्टर राकेश कुमार पुत्र जयभगवान जाति जांगिड़ नि0 आरजेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली हिस्सा 25/329 खातेदार 2. वाई0एस0 इन्फ्रास्टरक्चर जरिये डायरेक्टर योगेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर जी 53, नानगपुरा नई दिल्ली 110021 हिस्सा50/329 खातेदार 3.नन्दकिशोर पुत्र राधाकृष्ण शर्मा हिस्सा 100/329 जाति ब्राहम्ण सा. ई-82ए आकाश टॉवर, प्रेमचंद नगर रोड़, चीफ जस्टिस बंगले के सामने, बोडकदेव अंबावाली बिस्तार, अहमदाबाद- गुजरात 38015 खातेदार 4. राकेश कुमार पुत्र जयभगवान हिस्सा 101/329 जाति जागिड़ ब्राहम्ण सा. आरजेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली खातेदार 5.राहुल बंसल पुत्र शंकरलाल बंसल हिस्सा 1/329 जाति महाजन नि0 बिचौली तह0 आमेर खातेदार 6. संजय पंडिता पुत्र श्यामलाल हिस्सा 52/329 जाति ब्राहम्ण सा0 ई-45 अमरप्लाजा हसनपुर विलेज दिल्ली 92 खातेदार	1326/1	0.0329	बरानी 2	0.13 (रास्ते हेतु)
		01	0.0329		0.13
.2.	नन्दकिशोर पुत्र राधाकृष्ण शर्मा हिस्सा पूर्ण जाति ब्राहम्ण सा. ई-82ए आकाश टॉवर, प्रेमचंद नगर रोड़, चीफ जस्टिस बंगले के सामने, बोडकदेव अंबावाली बिस्तार, अहमदाबाद- गुजरात 380015 खातेदार	1322 1323 1326/2 1326/3	0.5000 0.5100 0.2000 0.2300	बरानी ए बरानी ए बरानी 2 बरानी 2	0.35 3.57 0.80 0.92
		04	0.9900		5.64 रू0

Rahul
उप जिला कलेक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

3.	1.मुस्कान रियकॉन प्राईवेट लि0 न्यू दिल्ली रजि0 नं0 7010/डीएल 2014 पीटीसी 263472 डायरेक्टर राकेश कुमार पुत्र जयभगवान जाति जांगिड़ नि0 आरजेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली हिस्सा 25/329 खातेदार 2. वाई0एस0 इन्फ्रास्टरक्चर जरिये डायरेक्टर योगेश पुत्र सुरेन्द्र सिंह जाति गुर्जर जी 53, नानगपुरा नई दिल्ली 110021 हिस्सा50/329 खातेदार 3. राकेश कुमार पुत्र जयभगवान हिस्सा 101/329 जाति जागिड़ ब्राहम्ण सा. आरजेड 56 बी फेज 01 धर्मपुरा नजफगढ़, नई दिल्ली खातेदार 4.राहुल बंसल पुत्र शंकरलाल बंसल हिस्सा 1/329 जाति महाजन नि0 बिचौली तह0 आमेर खातेदार 5. संजय पंडिता पुत्र श्यामलाल हिस्सा 52/329 जाति ब्राहम्ण सा0 ई–45 अमरप्लाजा हसनपुर विलेज दिल्ली 92 खातेदार	1325 1326/4 1330/2641 2304/2639 2305/2640	0.0300 2.0871 0.0400 0.0400 0.0700	गै0मु0 चाह बारानी 2 चाही 4 बारानी 2 बारानी 2	0.0 8.35 0.60 0.16 0.42
		05	2.2671		9.53

तहसीलदार, दांतमारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

Scanned with CamScanner